## 2025/AC-II/21/8

1/3120550/2025

भारत मरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे वोर्ड (Railway Board)

RBA No.05/2025

No. 2025/AC-II/21/8/e3492048

New Delhi, dated 20.03.2025

Pr. Financial Advisors, All Zonal Railways & PUs Pr. Chief Personnel Officers, All Zonal Railways & PUs

Sub:- Disbursement of Railway Pension through Private Sector Banks.

Ref: Board's letter No. 2021/ACII/9/2/e3349409 dated 21.12.2023 (RBA No.-38/2023).

\*\*\*\*

Please connect Board's letter ibid vide which authorization of Bandhan Bank for disbursement of Railway Pension (As per RBI's endorsement) was communicated to all Zonal Railways and Production Units (copies available in Accounts Compendium in the IR website). In this connection, it has now been confirmed that Bandhan Bank has completed all technical modalities and established full-fledged connectivity for transmission of e- PPOs in coordination with the CRIS.

The retiring employees may, therefore, be advised to facilitate their selection of Bandhan Bank for pension disbursement if they choose to do so, as of now.

Signed by Rajat Agarwal Date: 20-03-2025 14:21:50

(Rajat Agarwal) Joint Director Finance/CCA Railway Board Ph.No.011- 23047018 E mail ID: rajat.agarwal@gov.in

## भारत सरकार/Government of India रेल मंत्रालय/Ministry of Railways रेलवे बोर्ड/(Railway Board)

आरबीए सं. 05/2024

सं.2025/एसी॥/21/8/ई3492048

नई दिल्ली, दिनांकः 20.03.2025

प्रधान वित्त सलाहकार,

प्रधान मुख्य कार्मिक

अधिकारी

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: निजी क्षेत्र के बैंक के माध्यम से रेल पेशन का संवितरण।

संदर्भः रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.12.2023 का पत्र सं. 2021/एसी॥/9/2/ई3349404 (आरबीए सं. 38/2023)

कृपया ऊपर उद्धृत पत्र का अवलोकन करें, जिसके तहत सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों (भारतीय रेल की वेबसाइट में लेखा सार-संग्रह प्रतिलिपि उपलब्ध है) को रेल पेंशन के संवितरण (भारतीय रिजर्व बैंक के पृष्ठांकन के अनुसार) हेतु बंधन बैंक की स्वीकृति सूचित की गई थी। अब, इस संबंध में पुष्टि की गई है कि बंधन बैंक ने इस संबंध में सभी तकनीकी कार्य-रितियों को पूरा कर लिया है और क्रिस के समन्वय से ई-पीपीओं के प्रसार के लिए संपूर्ण संपर्कता स्थापित कर दी है।

अतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जाए कि यदि वे चाहें तो उनके द्वारा बंधन बैंक से पेंशन संवितरण करने की सुविधा के विकल्प का चयन किया जा सकता है।

臣:

(रजत अग्रवाल) संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए) रेलवे बोर्ड

द्रभाष सं. 011-23047018

ईमेल आईडीः rajat.agarwal@gov.in